रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012020-215804
CG-DL-E-30012020-215804

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2020/माघ 9, 1941
No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2020/MAGHA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2020

आयकर

सा.का.नि. 56(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 13क, धारा 35कघ, धारा 40क, धारा 43, धारा 43गक, धारा 44कघ, धारा 50ग, धारा 56, धारा 80ञकक, धारा 269धध, धारा 269धन और धारा 269न के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है),-

(i) नियम 6कखख के बाद, निम्नलिखित नियम के अंत:स्थापित किया जाएगा और इसे 1 सितंबर, 2019 से अंत:स्थापित माना जाएगा:-

"अन्य इलैक्ट्रानिक रीति

6कखखक. धारा 13क के प्रथम परंतुक के खंड (घ), धारा कघ के उपखंड (8) के खंड (च), उपधारा (3क), धारा 40क की उपधारा (3क) और उपधारा (4) के परंतुक, धारा 43 के खंड (1) के दूसरे परंतुक, धारा 43गक की उपधारा (4), धारा 44कघ की उपधारा (1) का परंतुक, धारा 50ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (भ) के उपखंड (ख) के दूसरे परंतुक, धारा 80ञञकक के स्पष्टीकरण के प्रथम परंतुक के खंड (i) के खंड (ख), धारा 269धध, धारा 269धन और धारा 269न के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित अन्य इलैक्ट्रानिक रीति होंगी, अर्थात् :-

(क) क्रेडिट कार्ड ;

(ख) डेबिट कार्ड ;

(ग) नेट बैंकिंग ;

(घ) आइएमपीएस (त्वरित भुगतान सेवा) ;

(ङ) यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ;

(च) आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट);

(छ) एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक कोष अंतरण) ; और

(ज) बीएचआईएम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार भुगतान";

(ii) नियम 6घघ,-

(क) पार्श्व शीर्षक के लिए, निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वे मामले और परिस्थितियां जिनमें किसी व्यक्ति को एक दिन में दस हजार रुपए से अधिक की रकम में भुगतान या कुल भुगतान किसी बैंक के नाम लिखे गए पाने वाले के खाते में देय चैक से या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग से या नियम 6कखखक में यथा विहित ऐसे अन्य इलेक्ट्रोनिक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकेगा" ।;

(ख) आरंभिक पैरा में, "पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट, बीस हजार रुपए से अधिक", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली या नियम 6कखखक में यथा विहित ऐसे अन्य इलेक्ट्रोनिक रीति के माध्यम से, दस हजार रुपए से अधिक" को रखा जाएगा ;

(ग) खंड (ग) में उपखंड (v), (vi), और (vii) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड (ञ) का लोप किया जाएगा ।"

[अधिसूचना सं. 8/2020/फा.सं. 370142/14/2019-टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायी प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के खंड 2 के उप-खंड (i) में यथा विहित संशोधन के संबंध में, इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 14(अ) तारीख 6 जनवरी, 2020 द्वारा किए गए थे ।